M.Ed - IV Sem

Educational Management and Administration

(SC-4)

प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के Administration शब्द का हिंदी रूपान्तरण है जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के minister शब्द से है minister → "सेवा करना"

Administration → दूसरो की सेवा करना (अपने अधीनस्थ लोगो की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला है)

दूसरा शब्द

Administer है जिसका अर्थ होता है to manage (प्रबन्धन करना) or to serve (सेवा करना) या to govern (प्रशासन करना)

अतः इस शब्द का प्रयोग जनता के कार्यो को करना तथा देख-भाल से लिया जाता है। इसलिए प्रशासन को एक सेवा तथा सहयोगी कार्य कहा जाता है।

शिक्षा प्रशासन का सम्बन्ध मुख्यतः शिक्षा एवं शिक्षा प्रक्रिया से ही होता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था (organization) जिस ढाँचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे कार्यान्वित करने में सहायक होता है। इतना ही नही बल्कि शिक्षा के सम्बंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यो से इसका गहरा सम्बन्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में अनेक व्यक्ति अपनी-2 भूमिका निभाते है। कक्षा भवन, पुस्तकालय, क्रीडा स्थल, कार्यालय, पाठ्येत्तर क्रियाओं का सफलता पूर्वक संयोजन करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य है। विद्यालयो के प्रधानाचार्य, प्रबन्धक, शिक्षक, विद्यार्थी अन्य कर्मचारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, निदेशक, उपनिदेशक आदि सभी मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करते है।

शिक्षा प्रशासन की परिभाषा :-

"शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे सेवा करने वाली गति विधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किये जाते है।"

– फाक्स, विश एवं रफनर

"Educational Administration is a service activity through which the objective of the educational process may be effectively realized." – Facks, Wish, & Rufner

"शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानो का प्रबन्ध है जिसमें अध्यापन एवं अधिगम को ध्यान में रखा जाता है यह एक व्यावहारिक क्षेत्र ही नही अपितु अध्ययन क्षेत्र भी है"

2 :-

"अन्य प्रशासन की भाँति शैक्षिक प्रशासन पाँच तत्वों - नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियन्त्रण की एक प्रक्रिया है।"

- हेनरी फेयोल

"Like other administration, Educational administration is a process of five Elements as - Planning, organising, direction, Co-ordination and control"

- Henry Fayol

शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ

(Characteristics of educational Administration)

(i) शैक्षिक प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया है। (Integrated Process) अर्थात इसमें सम्मिलित भौतिक तत्व जैसे नियोजन, संगठन, सञ्चालन, समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि सभी सम्मिलित रूप से एक दूसरे पर आधारित रूप में कार्य करते हैं।

(ii) शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय (Human Process) प्रक्रिया है। जो सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है।

(iii) शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील तथा नियन्त्रित होती है (Functional & controlled)

इसके अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि कार्य की प्रकृति यांत्रिक तथा स्वचालित न होकर कार्यशील एवं नियन्त्रित होती है।

(iv) शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप केन्द्रीयकरण व विकेन्द्रीयकरण दो रूपों में होता है।

जैसे - फ्रांस में केन्द्रीयकरण प्रशासन तथा अमेरिका में विकेन्द्रीय करण प्रशासन अपनाया गया है जैसे दोनों देशों में प्रजातन्त्र प्रणाली को अपनाया गया है।

(v) शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव गतिशील (Dynamic) होता किसी भी राष्ट्र में शैक्षिक प्रशासन की संरचना किसी है। भी उस देश के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक आधार पर की जाती है इन तत्वों में परिवर्तन होने के कारण शैक्षिक प्रशासन भी सदैव गतिशील रूप में रहता है।

(vi) शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाना होता है।

शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से विद्यालय के अन्तर्गत शिक्षक, छात्र तथा अन्य कार्यकलापों के रूपों में सुधार लाया जाता है।

Scanned by CamScanner

(vii) शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया उपयोगिता पर आधारित होती है
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है इसलिए शैक्षिक प्रशासन द्वारा इस कार्य को उपयोगी व महत्वपूर्ण बनाया जाता है ताकि समाज को समृद्धिशाली एवं उन्नत किया जा सके।

(viii) व्यावहारिकता (Practicability) –
प्रशासन सम्बंधित कार्य व्यावहारिक होने चाहिए न कि सैद्धान्तिक। अतः विद्यालय के उद्देश्य, नीतियाँ, नियम आदि मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए ताकि ये समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें।

शिक्षा प्रशासन का विकास

Scanned by CamScanner

शैक्षिक प्रशासन का विकास
(Development of Educational Administration)

संसार मे जितनी भी संस्थाऐं समूह तथा संगठन है वे सभी प्रशासन के द्वारा गति प्रदान प्राप्त करते है। जनसेवा, वित्त नियंत्रण, कर्मचारी-चयन, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति आदि के द्वारा उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु सभी तत्वो तथा पक्षो का समन्वय किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन आज की देन नही है वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति के साथ-2 शिक्षा प्रशासन का जन्म हुआ। युग की प्रकृति और आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा मे भी परिवर्तन होते रहे। शिक्षा प्रशासन की अवधारणा के विकास को तीन काल-खण्डो मे विभाजित किया गया है।

शिक्षा प्रशासन का परम्परावादी युग :-

शैक्षिक प्रशासन का परम्परावादी युग ज्ञान की संरचना पर आधारित रहा है इस युग मे किसी पक्ष द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य, शक्ति तथा तकनीक का आश्रय लिया जाता रहा है।

1. **टेलर के विचार :-** परम्परावादी विचारधारा के विकास मे टेलर, फेयाल तथा वेबर का विशेष योगदान है, एफ. डब्लू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबन्ध का जन्मदाता भी कहा जाता है, टेलर की राय थी कि कर्मचारियो को न तो बहुत अधिक और न ही बहुत का पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे टेलर (Taylor) के विचार निम्न प्रकार है -

Scanned by CamScanner

(a) समय-अध्ययन सिद्धान्त या अधिनियम (Time-study principle)
सभी उत्पादन कार्यों का मापन समय द्वारा होना चाहिए।
(b) उत्पादन इकाई पर अधिनियम :- समयानुसार उत्पादक वस्तुओं की मात्रा को गुणवत्ता के अनुपात के अनुपात में श्रम की मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। श्रमिक को उसकी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार अधिकतम तथा उच्चतर स्तर प्रदान किया जाना चाहिए।
(c) नियोजन तथा निष्पत्ति की पृथकता का अधिनियम :- कर्मचारियों से व्यवस्था अपने हाथों में प्रशासकों को ले लेनी चाहिए। नियोजन का दायित्व तथा यथार्थ रूप से निष्पत्ति अपने हाथों में प्रशासन को ले लेनी चाहिए।
(d) कार्य की वैज्ञानिक विधि का सिद्धान्त :- व्यवस्थापकों को उत्तम विधियों का निर्धारण करके श्रमिकों को इनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसे सभी दायित्व कर्मचारियों पर न छोड़कर प्रशासन को स्वयं निभाने चाहिएं।
(e) व्यवस्थापक-नियन्त्रण अधिनियम (managerial control principle)
व्यवस्था के वैज्ञानिक सिद्धान्तों तथा नियंत्रण के उपायों के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
(f) कार्यात्मक व्यवस्था सिद्धान्त (functional management principle)
सेना की भाँति कठोर अनुशासन का सिद्धान्त भी औपचारिक संगठन में अपनाना आवश्यक है, इससे विभिन्न क्रियाओं में समन्वय सम्भव होता है।

मैक्स वेबर के विचार :- मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक नवीन सम्भावनाओं को जन्म दिया तथा शैक्षिक प्रशासन में संगठन की संरचना पर अधिक बल दिया। मैक्स ने प्रशासन में नौकरशाही प्रारूप प्रस्तुत किया। मैक्स के अनुसार उत्तम उपलब्धि तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नौकरशाही प्रारूप से उत्तम कोई विकल्प नहीं है।
नौकरशाही व्यवस्था में व्यक्तिगत सांवेगिक तथा अतार्किक तत्वों एवं कारकों का कोई स्थान नहीं है। इस व्यवस्था में श्रम-विभाजन पाया जाता है। तकनीकी क्षमता के आधार पर रोजगार दिये जाते हैं।
3. हेनरी फेयोल के विचार :- हेनरी फेयोल ने प्रशासन को भी अनेक तत्वों की शृंखला माना है।

Scanned by CamScanner

हैनरी फेयोल ने प्रशासनिक तत्व इस प्रकार बताये हैं:-
(a) नियोजन (Planning) (b) संगठन (Organization) (c) कर्मचारीगण Staffing (d) निर्देशन (Direction) (e) समन्वयीकरण (Coordination) (f) प्रतिवेदन (Reporting) तथा (g) बजट (Budgeting).

शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता:-

सामान्यतः शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान में निम्न कारणों से आवश्यकता मानी जाती है।

(1) शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना – शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रशासन अनेक कार्यक्रम बनाता है। इन कार्यक्रमों को वह लागू करता है।

(2) समाज के लक्ष्यों की पहिचान – शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता इसलिए भी है कि वह शैक्षिक कार्य तथा नियोजन में समाज की आवश्यकता की पहिचान है। समाज में रीति रिवाजों, प्रथाओं, आदर्शों, आशा तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण करता है।

(3) शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन:- समाज की आवश्यकता तथा शैक्षिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में बालकों तथा अभिभावकों के लिए शैक्षिक, कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए भी प्रशासन की आवश्यकता होती है।

(4) साधनों का उपयोग:- शैक्षिक लक्ष्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि उपलब्ध साधनों का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाता। शिक्षा प्रशासन, क्रियान्वयन अभिकरण को समस्त साधन उपलब्ध कराता है।

(5) समन्वय तथा नियंत्रण:- शिक्षा प्रशासन समस्त साधनों का समन्वय तथा उनके उपयोग पर नियंत्रण करता है समन्वय व नियंत्रण से कुशलता विकसित होती है। दोहराव नहीं होता है।

(6) मूल्यांकन:- शिक्षा प्रशासन निष्पत्ति के सन्दर्भ में अपने क्रियाकलापों तथा परिणामों का मूल्यांकन करता है वह इस बात का पता लगाता है कि शिक्षा के कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे और भावी प्रगति के लिए उसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं।

Scanned by CamScanner

National Council of Educational Research and Training
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद)

माध्यमिक शिक्षा आयोग-1953 की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रकाशित होने के तुरन्त बाद ही भारत सरकार ने विद्यालयी शिक्षा के सुधार पर ध्यान दिया। शिक्षा चूँकि राज्यों का विषय है अतः केन्द्र ने राज्यों के साथ बड़े ही सहयोग से कार्य किया। केन्द्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना (   ) पहले ही हो चुकी थी जिसका मुख्य कार्य माध्यमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देना था। सन 1954ई० से अनेक संस्थाओं का प्रारम्भ हुआ जैसे -

ⓐ केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसन्धान केन्द्र
ⓑ शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन संस्थान
ⓒ आल इंडिया माध्यमिक शिक्षा परिषद
ⓓ राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान
ⓔ राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान आदि

सन 1961 में ये सभी संस्थाऐ एक स्वायत्त संगठन के तहत एक साथ मिला दी गई। यह संगठन जिसकी स्थापना सितम्बर 1961 ई० में हुई थी "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद" (NCERT) के नाम से जाना गया।

NCERT की रचना -:

इस परिषद में निम्न सदस्य होते हैं -

(1) अध्यक्ष -: शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री।
(2) सभापति :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति (भूतपूर्व)
(3) सचिव :- शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय के सचिव (भूतपूर्व)
(4) विश्वविद्यालयों से चार कुलपति जो प्रत्येक अंचल से भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे।
(5) प्रत्येक राज्य सरकार और विधान मण्डल के साथ संघीय राज्य क्षेत्र से एक-2 प्रतिनिधि जो कि शिक्षा मंत्री होगा (या उसका प्रतिनिधि)
(6) कुछ अन्य ऐसे व्यक्ति (अधिक से अधिक बारह) जिनको भारत सरकार समय-2 पर मनोनीत करती है। इनमें से कम से कम चार विद्यालयी अध्यापक होते हैं।
(7) प्रबन्धक समिति के सभी सदस्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं।

Scanned by CamScanner

परिषद में एक पूर्णकालिक निदेशक और एक संयुक्त निदेशक होते है जो दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को देखते है। परिषद की दो महत्वपूर्ण समिति होती है, अर्थात् प्रबन्धक समिति और कार्यक्रम सलाहकार समिति

NCERT के कार्य :-

इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार है—

(1) विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की सहायता करना।

(2) आवश्यक अनुसन्धानों, प्रयोगी, पायलट परियोजनाओं उच्च प्रशिक्षण और प्रसार सेवाओं का विकास करना।

(3) केन्द्रीय मन्त्रालय और राज्य शैक्षिक विभागों तथा विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बनाये रखना।

इन कार्यों को पूरा करने के लिए एन० सी० ई० आर० टी० शैक्षिक अध्ययनों, अनुसंधानों तथा सर्वेक्षणों का संगठन करती है। उच्चस्तरो की सेवापूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षण करता है, संस्थाओं के लिए विस्तार सेवाओं का संगठन करता है, उन्नत शैक्षिक तकनीक का प्रचार करता है, राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की सहायता करता है, पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षणिक साहित्य का प्रकाशन करता है तथा विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित सभी विषयो पर विचारों और सूचनाओं के शोधन-गृह (clearing House) के रूप में कार्य करता है।

Scanned by CamScanner

मानव ससांधन विकास मंतालय (M.H.R.D)

मानव विकास मंतालय, भारत सरकार का एक मंतालय है। मानव ससांधन मंतालय, पूर्व में शिक्षा मंतालय (25 Sep. 1985 ई० तक) भारत में मानव ससाधनो के विकास के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में इस मंतालय के उत्तरदायी मंत्री डा० रमेश पोखरियाल निशंक है। मंतालय को दो विभागो में बांटा गया है।

① स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
② उच्च शिक्षा विभाग

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए जिम्मेदार है यह "शिक्षा के सार्वभौमिकरण" और भारत के युवाओ में नागरिकता के लिए उच्च मानको की खेती के लिए काम करता है।

उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C) को अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है।

Scanned by CamScanner

उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। विभाग को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्वस्तरीय अवसरों देश में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच के साथ सामंजस्य में कोई समस्या न आये। इसके लिए सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व स्तर से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन राज्य सरकार। राज्य वित्त पोषित संगठन और स्ववित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली मोटे तौर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विभाग को आठ ब्यूरो में विभाजित किया गया है।

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; अल्पसंख्यक शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
शिक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (ERDO)
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR)
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR)
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला (IIAS)
11.09.2015 को 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय UGC द्वारा जारी की गई सूची

तकनीकी शिक्षा
प्रशासन और भाषाएं
विविध

उद्देश्य

शिक्षा पूर राष्ट्रीय नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि यह पत्र राष्ट्रीय भावना से पूरे देश में लागू हो। देश में शिक्षण संस्थानों की पहुंच और सुधार सहित योजनाबद्ध विकास उन क्षेत्रों में

Scanned by CamScanner

शामिल है जहाँ लोगों कि आसानी से पहुँच उपलब्ध नहीं है, गरीबो, महिलाओ और अल्पसंख्यको जैसे वंचित समूहो पर विशेष ध्यान देना। छात्रवृति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करें। समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को योग्य बनाना। यूनेस्को और विदेशी सरकारो के साथ-साथ विश्वविद्यालयो, शिक्षा के क्षेत्र में देश की शिक्षा के अवसरों सहित, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर काम करने, सहित उद्देश्य शामिल है।

Scanned by CamScanner